(87)

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा , आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03/2019
प्रविष्टि दिनांक 27.02.2019

1–उद्दा पुत्र भूरा जाति खटीक निवासी रावता माताजी तहसील देवली जिला टोंक राज0
2–रामदेव पुत्र भूरा जाति खटीक निवासी रावता माताजी तहसील देवली जिला टोंक राज0
3–प्रभू पुत्र भूरा जाति खटीक निवासी रावता माताजी तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–नाथू पुत्र भूरा जाति खटीक निवासी रावता माताजी तहसील देवली जिला टोंक राज0
2–रधुवीर पुत्र जमना जाति खटीक निवासी रावता माताजी तहसील देवली जिला टोंक राज0
2–तहसीलदार देवली जिला टोक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.04.2007 तहसीलदार देवली

उपस्थिति –(1) श्री सेतराम चौधरी अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री रामप्रसाद चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेण्ट नं0 1 ता. 3

निर्णय

दिनांक 20.09.2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार देवली द्वारा दिनांक 12.04.2007 को पारित निर्णय से अपीलाट्स अप्रसन्न होकर भूमि के बंटवारे को विधि विधान एंव तथ्यो के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये नोटिस की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण मे अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 आपस मे सगे भाई है तथा एक भाई जमना की मृत्यु हो चुकी है,जिसके रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 व 3 पुत्र है,इस प्रकार अपीलांट्स कुल 5 भाई है,जिनके खातेदारी व कब्जे काश्त आराजी खसरा नम्बर 876 रकबा 1.03 है0 वाके ग्राम रावता तहसील देवली मे स्थित है, उक्त जमीन मे पांचो भाईयो का बराबर–बराबर हक व हिस्सा है। उक्त जमीन का विधिवत विभाजन करने हेतु पांचो भाईयो ने दिनांक 26.02.2007 को तहसीलदार देवली के समक्ष प्रार्थना पत्र लगाया तथा उक्त प्रार्थना पत्र की पालना मे तहसीलदार देवली द्वारा उक्त जमीन का पांचो भाईयो की सहमति से दिनांक 12.04.2007 को विभाजन आदेश जारी किया, जिसके अनुसार उक्त खसरा नम्बर मे से 0.31 है0 जमीन नाथूलाल के तथा शेष

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

चारो भाईयो के 0.18 है0 प्रति व्यक्ति के हिसाब से विभाजन मे आई तथा उक्त विभाजन आदेश का राजस्व रिकार्ड मे अमल होने के पश्चात नये खसरा नम्बर 876,2522/876,2523/876,2554/876,2525/876 बने तथा ग्राम रावता मे सम्वंत 2071–2074 मे नया राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा सृर्जित होने पर उक्त खसरा नम्बरो के नवीन खसरा नम्बर 194,195,196,197,198 बने है। उक्त विभाजन आदेश दिनांक 12.04.2007 अपीलांट से वास्तविक तथ्यो को छिपाते हुये तथा उसके साथ कपट व मिथ्यावर्णन कारित करते हुये प्राप्त किया है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार देवली ने वार्षिक अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज पक्षकारो के हक व हिस्से पर गोर नही कर हक व हिस्से के विपरित जाकर आदेश पारित किया है।वार्षिक अभिलेख जमाबंदी को देखने मात्र से प्रथम दृष्टया यह तो स्पष्ट हो जाता है कि खसरा नम्बर 876 रकबा 1.03 है0 वाके ग्राम रावता पांचो भाईयो की मुस्तरका खातेदारी की जमीन है। जिसमे प्रत्येक भाई का बराबर–बराबर हक व हिस्सा निहित है।वास्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 876 रकबा 1.03 है0 मे से सिंचाई विभाग द्वारा बीसलपुर परियोजना की दांयी मुख्य नहर हेतु 0.10 है0 रकबा दिनांक 28.07.1995 को अवाप्त कर लिया था,परन्तु उक्त अवाप्तशुद्वा रकबे का राजस्व रिकार्ड मे अमल नही होने के कारण उक्त खसरा नम्बर का रकबा पुराना 1.03 है0 चला आ रहा है जबकि मौके पर उक्त खेत मे से नहर निकल चुकी है। अपीलांट के विभाजन मे हक व हिस्सा जिस जगह नक्शा ट्रेस मे होना अंकित किया है उस जगह नहर है। तहसीलदार देवली ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 मे दिये गये विभाजन संबंधी प्रावधानो तथा इसके लिये बनाये गये नियमो का स्पष्ट रूप से उल्लधंन किया है। रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे हिस्से से लगभग दुगनी जमीन जो 0.31 है0 उसके नाम लगाने का आदेश पारित कर दिया है तथा अपीलांट को ऐसी जगह पर कब्जा देना अंकित कर दिया जहां मौके पर पक्षकारो की जमीन ही नही हैं। आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार देवली ने अपीलांट को इस बाबत कोई सूचना नही दी है कि किसी खातेदार का रकबा क्यो बढाया गया तथा ना ही इस तथ्य से अपीलांट को अवगत कराया गया। राजस्व रिकार्ड व बीसलपुर बांध की दांयी मुख्य नहर के नक्शे को देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि जहां अपीलांट का कब्जा होना आदेश के साथ संलग्न नक्शे मे बताया है वहां मौके पर नहर की जगह अवाप्त हो चुकी है तथा उक्त अवाप्त जमीन का मुआवजा सभी खातेदारो ने लिया है। राज0टि0एक्ट की धारा 53 के अनुसार बंटवारा केवल सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा जो बंटवारा किया गया है उसमे किसी भी पक्षकार की सहमति नही ली गई है और ना ही किसी अधिवक्ता द्वारा पहचान की गई है। पक्षकारान मे हिस्से भी बराबर–बराबर नही किये गये है। तहसीलदार देवली द्वारा बिना क्षेत्राधिकार निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने जवाबी बहस में कथन किया कि दिनाक 12.04.2007 को तहसीलदार देवली द्वारा सभी पक्षकारान की सहमति से उक्त भूमि का बंटवारा किया गया है। आपसी सह खातो के बंटवारा पत्र पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है। पक्षकारान की उपस्थिति मे बंटवारा पत्र पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बनाया गया है। राज0टि0एक्ट 1955 की धारा 53(2)(1) एंव राज0काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 के तहत तहसीलदार का क्षेत्राधिकार होने के कारण तहसीलदार ने पक्षकारान की उपस्थिति मे बंटवारा किया है उक्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर 830 टोंक

Scanned by CamScanner

निर्णय की अपील एक माह मे प्रस्तुत करनी चाहिए थी लेकिन अपील समयावधि मे पेश नही की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट्स निरस्त की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। खसरा नम्बर 876 रकबा 1.03 है0 किस्म बरानी–2 भूमि वाके ग्राम रावता पटवार हल्का ककोडिया तहसील देवली को दिनाक 12.04.2007 को पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा किया गया है। आपसी सह खातो के बंटवारा पत्र पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है । पक्षकारान की उपस्थिति मे बंटवारा पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार करने पर तहसीलदार देवली द्वारा आदेश क्रमांक/1259/ दिनाक 12.04.2007 से निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2)(1) के तहत सह–खातेदारों द्वारा धारित भूमि के बटवारे के प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी को दिया गया है परन्तु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 द्वारा सहमति से विभाजन के लिए तहसीलदार को अधिकृत किया गया है। अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत नकल जो कार्यालय/न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (कलक्टर) बीसलपुर परियोजना देवली जिला टोंक द्वारा जारी की गई है मे उनकी पत्रावली संख्या 98/1995 के नोटिस से जाहिर है कि खसरा नम्बर 876 अवाप्त न कर खसरा नम्बर 875 अवाप्त किया गया है। अपीलांट्स द्वारा लगभग 12 वर्ष उपरान्त उक्त आदेश को निरस्त करवाने हेतु अपील पेश की है जो स्वीकार योग्य नही है।तहसीलदार को समस्त सहखातेदारो की सहमति से विभाजन करने का क्षेत्राधिकार होने के फलस्वरूप तहसीलदार देवली द्वारा बंटवारा किया गया है। जो नियमानुसार उचित है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार देवली द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स व प्रार्थनां पत्र स्थगन अस्वीकार किया जाकर तहसीलदार देवली द्वारा पारित आदेश दिनाक 12.04.2007 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

Scanned by CamScanner